भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4150
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी असमानता

4150. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अधिकतर राज्यों, जहाँ मनरेगा की मजदूरी कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी से औसतन 105 रुपए कम है वहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की मजदूरी और कृषि श्रमिकों की मजदूरी के बीच इतने अधिक अंतर के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा मजदूरी की असमानता को दूर करने और बेहतर ग्रामीण आजीविका के लिए मनरेगा की मजदूरी की वास्तविक कृषि श्रमिकों की मजदूरी से समरूपता सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप वित्त वर्ष की और शुरुआत में मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने पर विचार किया है; और

(घ) यह देखते हुए कि 21 नवंबर, 2023 तक वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 24 लाख रुपए के विलंब भत्ते में से केवल 2.5 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, मनरेगा लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान और विलंब क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक माँग-आधारित मजदूरी रोज़गार स्कीम है। यह आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है , अर्थात, ग्रामीण परिवारों को उस समय आजीविका के विकल्प प्रदान करती जब रोज़गार का कोई बेहतर अवसर उपलब्ध न हो।

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों के लिए अकुशल कार्य हेतु मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार , ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए

मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के श्रमिकों को मुद्रास्फीति की प्रतिपूर्ति के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दरों में संशोधन करता है।

उपरोक्त पद्धति का उपयोग करते हुए , केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित मजदूरी दर को संशोधित किया है , जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में लगभग 5% (औसत) अधिक है। नवीनतम संशोधित अधिसूचित मजदूरी दर 1 अप्रैल, 2025 से लागू कर दी गई है। हालाँकि , राज्य सरकारें अपने संसाधनों से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकती हैं।

(ग): ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने बजट आवंटन बढ़ाने के संबंध में सिफारिशें प्रस्तु त की हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, इस योजना के लिए ₹86,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था, जो इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक बजट अनुमान (बीई) स्तर पर इस योजना के लिए सबसे अधिक आवंटन था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सरकार ने ग्रामीण रोज़गार के लिए निरंतर सहायता सुनिश्चित करते हुए इस आवंटन को ₹86,000 करोड़ पर बनाए रखा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि योजना की मांग आधारित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए , ग्रामीण विकास मंत्रालय जमीनी स्तर पर रोजगार की मांग पर बारीकी से नजर रखता है और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की मांग करता है।

(घ): अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , लाभार्थी कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए , भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है , जिसमें मजदूरी भुगतान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण मस्टर रोल अपलोड करने से लेकर एफटीओ अनुमोदन तक के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो के साथ मिलकर मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश जारी करने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें निम्न शामिल हैं:

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) में सुधार
- मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने , लंबित और देरी के लिए मुआवजा दावों के सत्यापन आदि के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श।

- समय पर भुगतान और देरी के लिए मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाना।
- आवधिक बैठकों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, मध्यावधि समीक्षाओं आदि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय पर भुगतान और देरी के लिए मुआवजे के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करना।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): मजदूरी केंद्रीय खाते से श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका और निधियों की हेराफेरी कम होती है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और निधियों के लीकेज को रोकने में कारगर साबित हुआ है। लगभग 100% निधियों का प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है और मजदूरी भुगतान पूरी तरह से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है।
- आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस): एपीबीएस रूपांतरण एक प्रमुख सुधार प्रक्रिया है जहाँ महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों के आधार के आधार पर लाभ सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं , अधिमानतः आधार आधारित भुगतान , जिससे वितरण प्रक्रिया में कई लेयर कम हो जाती हैं। एपीबीएस बेहतर लक्ष्यीकरण , प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और भुगतान में देरी को कम करने , लीकेज को रोककर व्यापक समावेशन सुनिश्चित करने और इस प्रकार अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस): कार्यस्थल पर जियो-टैग्ड तस्वीरों के माध्यम से वास्तविक समय पर उपस्थिति दर्ज करना , उपस्थिति की सटीक और समय पर रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करता है, जिससे मजदूरी का समय पर भुगतान करने में मदद मिलती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-II में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, मज़दूरी की मांग करने वाले, मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद, प्रतिदिन की देरी के लिए अवैतनिक मजदूरी के 0.05% की दर से, विलंब के लिए मुआवज़ा पाने के हकदार होंगे। विलंब मुआवज़ा नियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। मुआवज़े के लिए देय राशि का विधिवत सत्यापन और अनुमोदन दिया जाता है, और फिर राज्य सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जाता है।

मंत्रालय नियमित रूप से महात्मा गांधी नरेगा योजना (विलंब मुआवजे सहित) के कार्यान्वयन के निष्पादन की समीक्षा करता है , जिसमें विभिन्न मंचों जैसे मध्यावधि समीक्षा , श्रम बजट बैठकें, श्रम बजट संशोधन बैठकें , कार्यक्रम समीक्षा बैठकें आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विलंब मुआवजे का भुगतान भी शामिल है।